दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :–08/05/2016

वादीगण की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर. ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:–

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादीगण को चक 5 यू.एम.डब्ल्यू. के खाता सं. 66 के प.न. 19/215, 20/215 की कुल 3.795 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 1 के 1/2 हिस्सा मे से 1.265 हैक. ब. हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष रकबा **प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा।**

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि चारागाह, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 08/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा